भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)

प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001

30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही (लेखापरीक्षित)	30 सितंबर, 2019 को समाप्त तदनुरूपी छमाही (लेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछला लेखावर्ष (लेखापरीक्षित)
1. **अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)**	**5518**	**5316**	**11021**
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज /बट्टा	4860	5101	10392
(ख) निवेशों पर आय	436	13	26
(ग) भा.रि. बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	222	202	603
(घ) अन्य	-	-	-
2. अन्य आय	169	452	698
3. कुल आय (1+2)	**5687**	**5768**	**11719**
4. ब्याज व्यय	3459	3762	7722
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**319**	**303**	**607**
(i) कर्मचारी लागत	236	192	393
(ii) अन्य परिचालन व्यय	83	111	214
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	**3778**	**4065**	**8329**
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	**1909**	**1703**	**3390**
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय (पुनरांकन पश्चात निवल)	418	791	953
9. असाधारण मदें	518	371	371
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+)/हानि (-) (7-8+9)	**2009**	**1283**	**2808**
11. कर संबंधी व्यय (डीटीए/डीटीएल के पश्चात निवल)	474	297	493
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ (+)/हानि(-) (10-11)	**1535**	**986**	**2315**
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) /हानि (-) (12-13)	**1535**	**986**	**2315**
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	532	532	532
16. आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	18175	15863	18175
17. विश्लेषणात्मक अनुपात			
(I) पूँजी पर्याप्तता अनुपात	29.02%	23.25%	26.62%
(ii) प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)	28.85	18.53	43.51
18. गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात			
(क)गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	673.55	1148.90	1040.84
(ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	172.22	625.47	658.64
(ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.47	0.79	0.63
(घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.12	0.43	0.40
(च) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात) (वार्षिकीकृत)	1.79%	1.25%	1.36%

टिप्पणियाँ:

1. बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
2. निदेशक मंडल द्वारा 11 नवंबर 2020 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।
3. 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही के लिए किए गए 'प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय' प्रतिलेखन के बाद निवल है।
4. भारतीय रिजर्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर, गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यह्रास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद, 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान, जहाँ भी अपेक्षित हों, अनुमानित/समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और ये वर्षांत में समायोजन के अध्यधीन हैं।
5. विनिमय जोखिम उतार-चढ़ाव वाले फंड जेआईसीए V खाते में ₹ 517.86 करोड़ का प्रतिक्रमण (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) असाधारण मद को दर्शाता है, क्योंकि अब इसे खाता-बहियों में अग्रानीत करना अपेक्षित नहीं है।
6. 27 मार्च, 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के संबंध में, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को देय ऋण किस्तों/ ब्याज के अधिस्थगन की पेशकश की है। तदनुसार, 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 13.99 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जिससे 30 सितंबर, 2020 तक कुल प्रावधान निम्नवत ₹ 27.98 करोड़ हो गया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़)
एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में तत्संबन्धी राशियाँ, जिनमें ऋण-स्थगन/आस्थगन प्रदान किया गया था (स्थिति यथा 30 सितंबर, 2020 को)	800.47
तत्संबन्धी राशि जिसमें आस्ति वर्गीकरण लाभ दिया गया है (स्थिति यथा 30 सितंबर, 2020 को)	53.47
वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में किए गए प्रावधान	27.98
स्लिपेज के प्रति तत्संबन्धी लेखा अवधियों के दौरान समायोजित प्रावधान और अवशिष्ट प्रावधान	शून्य

7. निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को नहीं लिया गया है।
8. निवेशकों की शिकायत संबंधी स्थिति: यथा 01 जुलाई, 2020 को 6 शिकायतें लंबित थीं। तिमाही के दौरान, निवेशकों से 4 शिकायतें प्राप्त हुईं और 10 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। तदनुसार, यथा 30 सितंबर, 2020 को कोई शिकायत निस्तारण के लिए लंबित नहीं है।
9. पिछली अवधि के आँकड़ो को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
10. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एएस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।
11. सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षा की है।

निदेशक मण्डल के आदेश से
ह/-
(मनोज मित्तल)
उप प्रबंध निदेशक

दिनांक : 11 नवंबर, 2020
स्थान : लखनऊ